

प्रपत्र-“छ”,
(नियम 4(1) देखें)
प्रथम अपील का फार्म

सेवा में,

अपीलीय प्राधिकार
विभाग/कार्यालय

महाशय,

चूँकि मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है/चूँकि लोक सूचना पदाधिकारी श्री
....., के निर्णय से मैं क्षुब्ध हूँ, फलतः यह अपील आपके समक्ष दायर करता/करती हूँ।
मेरे आवेदन का विवरण नीचे दिया जाता है:

1. अपीलकर्ता का नाम :

2. अपीलकर्ता का पता :

3. (क) लोक सूचना पदाधिकारी का नाम :

लोक सूचना पदाधिकारी का पता :

(ख) विभाग/कार्यालय का पता :

(ग) निर्णय का विवरण जिसके विरुद्ध अपील दायर किया जाता है निर्णय संख्या
एवं तिथि

4. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने की तिथि :

5. सूचना का व्यौरा :

(1) सूचना जो माँगी गई :

(2) अवधि जिसके लिए सूचना की माँग की गई :

6. प्रपत्र 'क' में आवेदन समर्पित करने के तीस दिनों के अन्दर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।

7. अपील का कारण :

(क) फार्म 'क' में आवेदन समर्पित करने के तीस दिनों के अन्दर कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) लोक सूचना पदाधिकारी के निर्णय दिनांक से क्षुब्ध।

8. अपील का आधार/मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य-

9. अपील दायर करने की अंतिम तिथि :

10. प्रार्थना/राहत जिसका अनुरोध किया गया :

मैं घोषित करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी एवं विश्वास है, दी गई सूचना एवं ब्यौरे सही हैं।

आवेदक का नाम :

आवेदक का हस्ताक्षर :

आवेदक का पत्राचार का पूरा पता

स्थान

ई-मेल पता, अगर कोई हो:

तिथि

दूरभाष संख्या: (कार्यालय)
(आवास)

..... यहाँ पावती से अलग करें

प्रेषक :

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय)

पता

आई.डी.सं. दिनांक

1. श्री निवासी से बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2005 के नियम 6 के उप नियम (1) के द्वारा विहित प्रपत्र 'छ' में एक अपील आवेदन प्राप्त किया।

प्राप्त करने वाले सहायक का हस्ताक्षर

अपीलीय प्राधिकार का कार्यालय

ई-मेल पता, अगर कोई हो:

दूरभाष संख्या: (कार्यालय)

(आवास)

वेबसाइट

बिहार राज्यपाल के आदेश से

()

उप सचिव

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

बिहार सरकार